रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 1997/कार्तिक 9, 1919
No. 431] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1997/KARTIKA 9, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1997

(आयकर)

सा. का. नि. 633(अ).— चूंकि आय और पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए कजाकस्तान गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिसमय उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के अनुसार उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाहियों को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं में से पश्चातवर्ती अधिसूचना के प्राप्त होने के पश्चात तीसवें दिन अर्थात् अक्तूबर, 1997 के दूसरे दिन को प्रवृत्त हो गया है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू होंगे।

आय तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कजाकस्तान गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और कजाकस्तान गणराज्य की सरकार आय तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, भले ही ये किसी भी तरह से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमियों द्वारा अदा की जाने वाली मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों के साथ-साथ पूंजी की मूल्य-वृद्धि पर करों सहित कुल आय, कुल पूंजी अथवा आय या पूंजी के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह अभिसमय लागू होगा, वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

(क) भारत गणराज्य में :

(i) आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ; और

(ii) पूंजी पर कर (धनकर)

(जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा) ;

(ख) "कजावस्तान" गणराज्य में ;

(i) विधिक व्यक्तियों और व्यष्टियों की आय पर कर ;

(ii) विधिक व्यक्तियों और व्यष्टियों की सम्पत्ति पर कर ;

(जिन्हें इसके बाद कजावस्तान कर कहा जाएगा) ।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा, जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) (i) "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें इसके राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

(ii) "कजाकस्तान" पद से अभिप्रेत है : कजाकस्तान गणराज्य और जब यह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होगा जब "कजाकस्तान" पद में इसकी राज्यक्षेत्रीय जल-सीमा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा महाद्वीपीय जलगठन सीमा भी शामिल होगी, जिनमें कजाकस्तान कुछ प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार तथा जिनमें कजाकस्तान कर के संबंध में कानून लागू होते हैं उनमें यह प्रभुसत्ता संपन्न अधिकार तथा क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है;

(ख) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय अथवा कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक करार्पेय इकाई के रूप में समझा जाता है ;

(ग) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;

(घ) "एक संविदाकारी राज्य" तथा " दूसरा संविदाकारी राज्य" पद का अर्थ संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार कजाकस्तान अथवा भारत है ;

(ङ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ।

(च) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा संचालित हो। सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

(i) कजाकस्तान में, वित्त मंत्रालय और इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) भारत में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ज) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

(i) एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा कोई अन्य संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो।

(झ) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसाकि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित है ।

(ii) कजाकस्तान के मामले में, एक कैलेण्डर वर्ष ;

(ञ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा कजाकी कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिनके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो इन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड को निरूपित करते हैं ।

2. जहां तक किसी भी समय किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस समय उस राज्य के उन करों में संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य में उसके कानूनों के अनुसार उसके अधिवास निवास, प्रबंध के स्थान निगमन के स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो ।

परन्तु इस पद में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर उस राज्य में स्थित स्रोतों से आय अथवा उसमें स्थित पूंजी के बारे में ही उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित केन्द्रित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(छ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है जहां से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबन्ध व्यवस्था का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) कोई बिक्री बाजार ;

(ज) कोई माल गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो; और

(झ) कोई फार्म, कोई बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां, कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्य-कलाप किए जाते हैं ।

3. "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य अथवा प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी क्रियाकलाप आते हैं, जहां ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा क्रियाकलाप बारह महीने से अधिक अवधि के लिए चलता रहता है ;

(ख) कोई संस्थापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है अथवा इससे संबंधित पर्यवेक्षी क्रियाकलाप अथवा प्राकृतिक स्रोतों की खोज के लिए प्रयुक्त किए गए ड्रिलिंग रिग अथवा जलयान, जहां ऐसा प्रयोग अथवा क्रियाकलाप बारह महीने से अधिक अवधि के लिए चलता रहता है ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(ङ) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(च) केवल उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणाम-स्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक प्रकार का हो ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य करता है और उसे उद्यम के नाम से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आमतौर से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो तो उस उद्यम का उस राज्य में किन्हीं भी ऐसी गतिविधियों के संबंध में एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा, जो वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता है। जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिसे यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य का कोई बीमा उद्यम का पुनः बीमा करने के सिवाय, अन्य संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा यदि वह उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमा किस्तों को वसूल करता है अथवा वह किसी स्वतंत्र हैसियत अभिकर्ता से भिन्न, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता है, वहां पर रहने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से जोखिमों को सुरक्षित करता हो ।

7. किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम

सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि जब किसी एजेन्ट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो वह ऐसी स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेन्ट नहीं समझा जाएगा ।

8. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर भी दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो अर्थ उक्त संविदाकारी राज्य के उस कानून के अंतर्गत है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके उतने लाभों पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो या किया हो तो ऐसी स्थिति में वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे जो उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार हों और उनकी परिधि के अन्दर आते हों, फिर चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों ।

स्थायी संस्थापन को पेटेंट या अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए प्रतिफल में रायल्टी, शुल्क या इसी प्रकार की अन्य अदायगी द्वारा या निष्पादित सेवाओं या प्रबन्धन के लिए कमीशन द्वारा या स्थायी संस्थापन को उधार पर दी गई धनराशि पर ब्याज द्वारा इसके प्रधान कार्यालय या निवासी के किसी अन्य कार्यालयों को अदा की गई राशियों के लिए किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी ।

4. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं ।

5. जहां लाभ में आय की वे मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां इन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभ को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई उचित तथा पर्याप्त कारण उपस्थित न हों ।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. किसी परिवहन उद्यम, जो कि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है उसके द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल या पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त आधानों (जिसमें आधानों के परिवहन के लिए ट्रेलर और अन्य उपस्कर शामिल हैं) के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा किराए से प्राप्त लाभ पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा जब तक कि ऐसे आधानों का केवल अन्य संविदाकारी राज्य में प्रयोग नहीं किया जाता ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से हुए लाभ के रूप में माना जाएगा तथा अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के मामलों में लागू नहीं होंगे । तथापि, इस पैराग्राफ के उपबंध किसी बैंक के पास मियादी जमा राशियों से ब्याज पर लागू नहीं होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभ पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

संबद्ध उद्यम

जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के न होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त होता किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में करार्धेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय शेयरों या अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं संपन्न करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हैं । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

6. किसी संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी, जो उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अन्य संविदाकारी राज्य में कारोबार कर रही है, के लाभों पर अनुच्छेद 7 के तहत कर लगाने के पश्चात् भी उस संविदाकारी राज्य, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है, की शेष राशि पर इस दर से जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में बतायी गई दर से अधिक न हो,कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, कर लगाया जाएगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता और ब्याज का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस सीमाबद्धता को लागू करने की विधि तय करेंगे ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से उसके स्वामित्व में रखा जाता है :

(i) सरकार, दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ii) अन्य संविदाकारी राज्य का सेन्ट्रल बैंक अथवा अन्य कोई सरकारी बैंक या वित्तीय संस्था/एजेंसी जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच परस्पर सहमति होती है ।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "ब्याज" पद से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार सम्मिलित हैं । देर से की जाने वाली अदायगी के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध,जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक नियत स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और ऐसा ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में ही उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित है ।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज अदा किया गया है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "रायल्टियां" पद से साफ्टवेयर, सिनेमा-फिल्मों, किसी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया सहित साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी कापीराइट के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के

लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां और औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु प्राप्त की गई अदायगियां अभिप्रेत हैं ;

(ख) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद में प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, किसी रकम की अदायगियां अभिप्रेत हैं, लेकिन इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब रायल्टियां और फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनो और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमति हुई होती वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित किसी ऐसी चल-संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर जिसकी संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में प्रधानतया प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अचल संपत्ति के रूप में हो, दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होंगे जिसका अंतरणकर्ता निवासी हो ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में ही कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण

उद्भूत हुई मानी जा सकती है ;

(ख) यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होने वाली या समाप्त होने वाली किसी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हो तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो दूसरे राज्य में उसके कार्यकलापों से प्राप्त की जाती है ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा काय चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, शल्य-चिकित्सकों, दंत-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो । यदि ऐसे नियोजन का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा पारिश्रमिक जो वहां से प्राप्त होगा उस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) यदि प्राप्तकर्ता संबंधित उक्त वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; तथा

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा जिसमें जलयान अथवा वायुयान संचालन करने वाला उद्यम निवासी है ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल या इसी तरह के किसी निकाय के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उस देश की यात्रा के लिए संविदाकारी राज्यों में से किसी एक या दोनों राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागो या स्थानीय निकायों की लोक निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से सहायता की जाती हो । ऐसे मामले में उक्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है ।

अनुच्छेद - 18

पेंशन तथा अन्य अदायगियां

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अतीत में नियोजन के प्रतिफल में किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दी गई पेंशन या अन्य इसी तरह के पारिश्रमिक और ऐसे किसी निवासी को अदा की गई किसी अन्य वार्षिकी पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।

2. "वार्षिकी" पद का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के बदले में किसी व्यक्ति को अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन उसके जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित समयावधि के दौरान नियत अवधि पर समय-समय पर उसे देय हो ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतनों, मजदूरियों अथवा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा :

(ख) तथापि, ऐसे वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हों और वह व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी हो, जो:

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा

(ii) सेवाएं प्रस्तुत करने के प्रयोजन मात्र से उस राज्य का निवासी नहीं बना ।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें से उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा :

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा यदि व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारबार के सिलसिले में की गई सेवाओं से संबंधित वेतनों, मजदूरियों तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी :-

(क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गयी अदायगियां ; और

(ख) उस दूसरे राज्य में नियोजन से उतनी रकम का प्राप्त प्रतिफल जिस रकम पर किसी वित्तीय वर्ष के लिए उस अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत कर से छूट प्राप्त होती है, जैसी भी स्थिति हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से सीधे तौर पर संबंधित हो या उसके भरण-पोषण के लिए किया जाता हो ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु किसी भी हालत में किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार सात वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 21

प्रोफेसर, अध्यापक और शोध अध्येता

1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्था में शिक्षण अथवा शोध कार्य अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए उसको प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो ।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह वित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी है जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व दौरा करता है ।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्थान" से अभिप्राय ऐसे संस्थान से है जिसे संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां कहीं भी वे उद्भूत होती हों और जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी यदि किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतरी स्रोतों से घुड़दौड़, कार्डगेमों और अन्य गेमों या किसी भी प्रकार या किस्म के किसी भी प्रकार की जूआबाजी या शर्तबाजी सहित लाटरियों, वर्ग-पहेलियों तथा दौड़ों (रेसों) के रूप में आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 23

पूंजी

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल संपत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर, जो कि एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस पर दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार संपत्ति के अंश के रूप में चल संपत्ति द्वारा अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, निरूपित पूंजी पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों और वायुयानों के संचालन से संबंधित संपत्ति द्वारा और ऐसे जलयानों या वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति द्वारा निरूपित पूंजी केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी जिसमें ऐसे जलयानों या वायुयानों का संचालन करने वाला उद्यम एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 24

दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित राज्यों में आय के कराधान मामलों को अधिशासित करते रहेंगे, सिवाय उन मामलों के जहां इस अभिसमय में उनके विपरीत प्रावधान किए जाएं ।

2. कजाकस्तान के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) जहां कजाकस्तान का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा ऐसी पूंजी का मालिक हो जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है वहां पर कजाकस्तान निम्नलिखित में कर से कटौती देगा :

(i) उस निवासी की आय पर भारत में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती ;

(ii) उस निवासी द्वारा भारत में अदा की गई पूंजी पर कर की रकम के बराबर पूंजी पर कर से कटौती ।

उपर्युक्त उपबंध के अनुसरण में कटौती की जाने वाली कर की राशि उस कर से अधिक नहीं होगी जो कर कजाकस्तान में वहां लागू दरों के अधीन इसी तरह की आय पर लगाया जाता ।

3. भारत के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा ऐसी पूंजी का मालिक हो जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार कजाकस्तान में कर लगाया जा सकता है वहां पर भारत निम्नलिखित में कर से कटौती देगा ;

(i) उस निवासी की आय पर कजाकस्तान में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती ;

(ii) उस निवासी द्वारा कजाकस्तान में अदा की गई पूंजी पर कर की रकम के बराबर पूंजी पर कर से कटौती ।

उपर्युक्त उपबंध के अनुसरण में कटौती की जाने वाली कर की राशि उस कर से अधिक नहीं होगी जो कर कजाकस्तान में वहां लागू दरों के अधीन इसी तरह की आय पर लगाया जाता ।

4. ऐसी आय अथवा पूंजी, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता, उसे उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की दर की गणना करने के लिए शामिल किया जा सकता है ।

5. एक संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर में वह कर शामिल माना जाएगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून में निबद्ध प्रोत्साहन उपबंधों के अधीन अदा किए गए कर में किसी छूट या कटौती न किए जाने की स्थिति में उस सीमा तक आर्थिक विकास करने के लिए दिया जाता है कि ऐसी छूट में कटौती औद्योगिक या निर्माण कार्यकलापों, कृषि, मत्स्यन या पर्यटन (रेस्टोरेंट और होटलों सहित) से प्राप्त लाभ के लिए दी जाती है बशर्ते कि ऐसे कार्यकलाप उस संविदाकारी राज्य में ही निष्पादित किए जाते हों ।

अनुच्छेद - 25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान को अथवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लगाए जाने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो । यह उपबंध अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो कि उससे अधिक हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की किसी वैसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाया जाता है और न ही इसका यह अर्थ होगा कि यह इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के विपरीत हो ।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है ।

4. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, वहां एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त ब्याज, रायल्टियां तथा अन्य अदा किए गए संक्रितरण ऐसे उद्यम के योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वैसी ही शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे मानो कि उन्हें प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया था । इसी प्रकार, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिया गया कोई ऋण, ऐसे उद्यम की कर योग्य पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ समान शर्तों के अधीन कटौती योग्य होगा मानो कि उसे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को संविदाकृत किया गया था ।

5. अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के उपबंध हर प्रकार के करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 26

पारस्परिक करार प्रक्रिया

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह, उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि यह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद -25 के पैराग्राफ-1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान किया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी करार को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा निर्धारित क्यों न हो ।

3. इस अभिसमय की व्यवस्था करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है ।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं । यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौखिक मतों का आदान-प्रदान उपयुक्त प्रतीत हो, तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं ।

अनुच्छेद - 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी दस्तावेजों सहित ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा इस अभिसमय में आने वाले संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के अनुकूल नहीं हो । जो विशेषकर ऐसे करों की धोखा-धड़ी अथवा कर अपवंचन को रोकने के लिए हो । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद - 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस अभिसमय के अंतर्गत आने वाले करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे । वे उक्त सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ इस तरह नहीं लगाया जाएगा कि उससे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता लागू हो जाए :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्यों के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना उपलब्ध कराना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(ग) ऐसी सूचना उपलब्ध कराना जिसमें किसी व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा पेशे संबंधी रहस्य अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना का पता चले और जिसको बताना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल बात होगी ।

अनुच्छेद - 28

धन संग्रहण करने में सहायता

1 करों के संग्रहण में संविदाकारी राज्य एक-दूसरे को सहायता देने का वचन देते हैं जो इस अभिसमय में "राजस्व दावे" के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित ऐसे करों से संबंधित ब्याज, लागत तथा सिविल शास्तियों से संबंधित हैं ।

2. राजस्व दावे के संग्रहण में संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए अनुरोध में उस राज्य के कानून के अधीन ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र भी शामिल होगा कि दावा किया गया राजस्व अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है । इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से तय कर लिया जाता है जब संविदाकारी राज्य को अपने आन्तरिक कानून के अंतर्गत राजस्व दावे को एकत्र करने का अधिकार हो और कर दाता को ऐसे कर रोकने का कोई अधिकार नहीं हो ।

3. इस अनुच्छेद के अनुसरण में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एकत्र की गई राशि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दी जाएगी । तथापि, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य, दोनों राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच परस्पर सहमति की सीमा तक ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान उपगत लागत की, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा ।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य पर उन प्रशासनिक उपायों से भिन्न स्वरूप के प्रशासनिक उपाय की बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा जो कि उसके स्वयं के करों की वसूली में प्रयुक्त किए जाते हैं अथवा जो उसकी सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हैं ।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक मिशनों के सदस्य और वाणिज्य दूत संबंधी पद

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशनों के सदस्यों अथवा वाणिज्य दूत संबंधी पदों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने हेतु अपने-अपने कानूनों के द्वारा अपेक्षित कार्यविधियों के पूरा किए जाने के बारे में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित

करेंगे । यह अभिसमय उक्त अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त अधिसूचना के तीस दिन बाद प्रवृत्त हो जाएगा ।

2. इस अभिसमय के उपबंध निम्नानुसार लागू होंगे :

(क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद वाले अगले वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय अथवा धारित पूंजी के संबंध में ; और

(ख) कजाकस्तान में जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवृत्त होता है, उसके बाद वाले अगले वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय अथवा धारित पूंजी के सबंध में ।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह अभिसमय अनिर्धारित समय तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से एक संविदाकारी राज्य द्वारा इसका समापन नहीं कर दिया जाता, दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छः महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी परिस्थिति में यह अभिसमय निम्न के संबंध में प्रभावी नहीं होगा :

(क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है, इसके बाद वाले अगले वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में और जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके बाद वाले अगले वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर पूंजी के संबंध में ; और

(ख) कजाकस्तान में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है इसके बाद वाले वर्ष की अगली जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में और जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके बाद वाले वर्ष की अगली जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर धारित पूंजी के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इस अभिसमय पर विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियानबे के दिसम्बर माह के नौवें दिन हिन्दी, कजाक, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । पाठों में अर्थ-निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा ।

(ह./-)
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(पी. चिदम्बरम)

(ह./-)
कजाकस्तान गणराज्य की
सरकार की ओर से
(ए. एसिमोव)

प्रोतोकोल

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए कजाकस्तान गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित बातें अभिसमय की अनिवार्य हिस्सा होंगी ।

अनुच्छेद 7 के संदर्भ में :

अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम माल अथवा पण्य-वस्तु बेचता है अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है तो उस स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण उक्त उद्यम द्वारा प्राप्त कुल राशि के आधार पर नहीं किया जाएगा अपितु उसका निर्धारण केवल उस परिश्रामिक के आधार पर किया जाएगा जो कि ऐसी बिक्री अथवा कारोबार हेतु स्थायी संस्थापन के वास्तविक क्रियाकलापों के कारण उद्भूत होता है । विशेष रूप से, सर्वेक्षण आपूर्ति, उद्योग को लगाना अथवा विनिर्माण, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा परिसर, अथवा लोक निर्माण कार्यों की संविदाओं के मामले में, जब उद्यम का कोई स्थायी संस्थापन हो तो ऐसे स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण संविदाओं की कुल राशि के आधार पर नहीं किया जाएगा अपितु उसका निर्धारण केवल संविदा के उस भाग के आधार पर होगा जिस पर संविदाकारी

राज्य में, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है, उक्त स्थायी संस्थापन द्वारा प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है ।

अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संदर्भ में :

अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संबंध में, यदि कजाकस्तान गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच तथा किसी तीसरे देश के साथ अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल के अंतर्गत कजाकस्तान अथवा भारत लाभांशों (फ्लैट दर), ब्याज रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कराधान की उस दर से कम अथवा उस दायरे तक सीमित करते हैं जो इस अभिसमय में आय की उक्त मदों पर दर अथवा दायरे की व्यवस्था से अधिक सीमित होगी तो आय की उक्त मदों पर उस अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल में की गई व्यवस्था के अनुसार यही दर और दायरा इस अभिसमय के अंतर्गत भी लागू होगा ।

जिसके साक्ष्य में, इस प्रोतोकोल पर विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियानबे के दिसम्बर माह के नौवें दिन हिन्दी, कजाक, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । पाठों में अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा ।

(ह./-)
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(पी. चिदम्बरम)

(ह./-)
कजाकस्तान गणराज्य की
सरकार की ओर से
(ए. एसिमोव)

[अधिसूचना सं०.10449/97-फा. सं. 501/6/94-वि.क.प्र.]

के. डी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1997

(Income-Tax)

G.S.R. 633 (E). Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of Kazakstan and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital will enter into force, on the second day of the October, 1997, thirty days after the receipt of the later of notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Convention in accordance with Article 30 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND FOR THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Kazakstan desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

have agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) in the Republic of Kazakstan:

(i) the tax on income of legal persons and individuals;

(ii) the tax on the property of legal persons and individuals;

(hereafter referred to as "Kazakstan tax");

b) in the Republic of India:

(i) the income tax, including any surcharge thereon; and

(ii) the tax on capital (the wealth tax)

(hereafter referred to as "Indian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the terms:

(i) "Kazakstan" means the Republic of Kazakstan, and when used in a geographical sense, the term "Kazakstan" includes the territorial waters, and also the exclusive economic zone and continental shelf in which Kazakstan, for certain purposes, may exercise sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law and in which the laws relating to Kazakstan tax are applicable;

(ii) "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

b) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons or any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

c) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

d) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Kazakstan or India, as the context requires;

e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

g) the term "competent authority" means:

(i) in Kazakstan: the Ministry of Finance or its authorized representative

(ii) in India: the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorized representative;

h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State:

(ii) any legal person, partnership or any other association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

i) the term "fiscal year" means:

(i) in the case of India, "previous year" as defined under section 3 of the Income-tax Act, 1961;

(ii) in the case of Kazakstan, the calendar year;

j) the term "tax" means Indian tax or Kazak tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature.

But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

g) a sales outlet;

h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and

i) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.

3. The term "permanent establishment" also includes:

a) a building site or construction or installation or assembly project, or supervisory activities connected therewith, only if such site, project or activity lasts

for more than 12 months, and

b) an installation or structure used for the exploration of natural resources, or supervisory activities connected therewith, or a drilling rig or ship used for the exploration of natural resources, only if such use or activity lasts for more than 12 months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; or

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting on behalf of an enterprise of the other Contracting State and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or it insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of

them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on or has carried on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

The permanent establishment shall not be allowed a deduction for amounts paid to its head office or any of the other offices of the resident by way of royalties, fees or other similar payment in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or by way of interest on moneys lent to the permanent establishment.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income or capital gains which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

6. For the purposes of preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise which is a resident of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest. The provisions of this paragraph will, however, not apply to interest on fixed deposits with a bank.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in that Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. Profits of a company of a Contracting State carrying on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein may, after having been taxed under Article 7, be taxed on the remaining amount in the Contracting State in which the permanent establishment is situated at a rate that does not exceed the rate set forth in paragraph 2 of this Article.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient and the beneficial owner of the interest is a resident of other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

(i) the Government, a political subdivision or a local authority of the other contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State or any other governmental bank or financial institution/agency that may be mutually agreed upon between the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind

received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, and payments for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment;

(b) The term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Article 14 and 15 of this Convention.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 of a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State .

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants .

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the enterprise operating the ship or aircraft is a resident.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar body of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2. shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportpersons if the visit to that State is substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportperson is a resident.

Article 18

PENSIONS AND OTHER PAYMENTS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment and any annuity paid to such a resident shall be taxable only in that State.

2. The term "annuity" means a stated sum payable to an individual periodically at stated times during his life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State: or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall, besides grants, loans and scholarships, be exempt from tax in that other State on:

(a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and

(b) remuneration from employment in that other State for an amount not exceeding the amount which is exempt from tax under the laws of that other Contracting State for any fiscal year,

as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than seven consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed

to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

4. For the purposes of paragraph 1 "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph-1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games or any sort of gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services; may also be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State in which the enterprise operating such ships or aircraft is a resident.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. In the case of Kazakstan, double taxation shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Kazakstan derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Kazakstan shall allow:

(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India;

(ii) as a deduction from the tax on capital of that resident, an amount equal to the tax on capital paid in India.

The amount of the tax to be deducted pursuant to the above provision shall not exceed the tax which would have been charged on the same income in Kazakstan under the rates applicable thereon.

3. In the case of India, double taxation shall be avoided as follows:

a) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Kazakstan, India shall allow:

(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Kazakstan;

(ii) as a deduction from the tax on capital of that resident, an amount equal to the tax on capital paid in Kazakstan.

The amount of the tax to be deducted pursuant to the above provision shall not exceed the tax which would have been charged on the same income in India under the rates applicable thereon.

4. Income or capital which, in accordance with the provisions of this Convention, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

5. The tax paid in a Contracting State shall be deemed to include the tax which would have been paid but for any exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in the law of that Contracting State designed to promote economic

development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial or manufacturing activities or from agriculture, fishing or tourism (including restaurants and hotels) provided that the activities have been carried out within that Contracting State.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

4. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial

decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information or documents which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28

ASSISTANCE IN COLLECTION

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Convention relates together with interest, costs, and civil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as a "revenue claim".

2. Request for assistance by the competent authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that, under the laws of that State, the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection.

3. Amounts collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.

4. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those which used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy (ordre public).

Article 29

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic

missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Convention. This Convention shall enter into force thirty days after the receipt of the later of the notifications.

2. The provisions of this Convention shall have effect:

(a) in India in respect of income derived or capital held in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force; and

(b) in Kazakstan in respect of income derived or capital held in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Convention enters into force.

Article 31

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiry of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in India, in respect of income arising in any previous year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given and in respect of capital which is held at the expiry of any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given; and

(b) in Kazakstan, in respect of income arising in any fiscal year on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice is given and in respect of capital which is held at the expiry of any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi, this 9th day of December 1996, in Hindi, Kazak, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall prevail.

Sd./-
(P. CHIDAMBARAM)
For the Government of the
Republic of India

Sd./-
(A. ESIMOV)
For the Government of the
Republic of Kazakstan

PROTOCOL

At the signing of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Kazakstan for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed that the following shall form an integral part of the Convention.

With reference to Article 7:

In respect of paragraphs 1 and 2 of Article 7, where an enterprise of one of the Contracting States sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount received by the enterprise, but shall be determined only on the basis of the emuneration which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business. Especially, in the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits of such permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount of the contract, but shall be determined only on the basis of that part of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State where the permanent establishment is situated.

With reference to Articles 10, 11 and 12:

In respect of Articles 10, 11 and 12, if under any Convention, Agreement or Protocol between the Governments of the Republic of Kazakstan and the Republic of India with a third State, either Kazakstan or India limit their taxation on dividends (single rate), interest, royalties or fees for technical services to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Convention on the said items of income, the same rate or scope as provided for in that Convention, Agreement or Protocol on the said items of income shall also apply under this Convention.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi, this 9th day of December 1996, in Hindi, Kazak, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall prevail.

Sd./-
(P. CHIDAMBARAM)
For the Government of the
Republic of India

Sd./-
(A. ESIMOV)
For the Government of the
Republic of Kazakstan

[Notification No. 10449/97-F.No. 501/6/94-FTD.]

K.D. GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064.
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997